रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 1975/फाल्गुन 13, 1896

No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 1975/PHALGUNA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 4th March 1975

S.O. 127(E).—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970 the Central Government hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1873, dated the 18th May, 1970 namely:

In the Table annexed to the said Order, in column (2)—

(a) against serial No. 1 Vitamin A, for the letters, figures and word "Rs. 391.00 per 1,000 mu" the letters, figures and word "Rs. 562.00 per 1,000 mu" shall be substituted;

(b) against serial No. 15 Isonicotinic Acid Hydrazide, for the letters, figures and word "Rs. 126.16 per kg., if manufactured through indigenous picolines" the letters, figures and word "Rs. 153.17 per kg., if manufactured through indigenous picolines" shall be substituted.

[No. F. 9(6)/75-Ch.I]

VINOD KUMAR, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1975

का०आ० 127 (अ).—औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1873 तारीख 18 मई, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में—

(क) क्रम सं० 1 विटामिन ए के सामने, "391 रु० प्रति एम० यू०," अंकों, अक्षरों, और शब्द के स्थान पर, "562 रु० प्रति 1000 एम यू" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे –

(ख) क्रम सं० 15 इसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड के सामने, "126 रु० 16 पै० प्रति किलोग्राम, यदि देसी पिकोलिन्स से विनिर्मित किया गया हो," अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, "153 रु० 17 पै० प्रति किलोग्राम, यदि देसी पिकोलिन्स से विनिर्मित किया गया हो," अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० फा० 9(6)/75–सी एच०]

विनोद कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975